अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3068(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''वेदांता फाउंडेशन, निरंजन बिल्डिंग के सामने, 'ई' रोड का कॉर्नर, मरिन ड्राईव, मुंबई-400002'' द्वारा ''वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट (अखिल भारत)'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 31.36 करोड़ रूपए की लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3176(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि हेतु बढ़ाया गया था;

और जबकि समग्र परियोजना को 'वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट' से संशोधित करके 'वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन और वेदांता बाल शक्ति आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट' करने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 'वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट' से संशोधित करके 'वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन और वेदांता बाल शक्ति आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट' करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''वेदांता फाउंडेशन, निरंजन बिल्डिंग के सामने, 'ई' रोड का कॉर्नर, मरिन ड्राईव, मुंबई-400002'' द्वारा चलाई जा रही ''वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट (अखिल भारत)'' की परियोजना अथवा स्कीम को 31.36 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052(अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 19 के सामने, स्तम्भ 3 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली परियोजना अथवा स्कीम के संबंध में ''वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट'' से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर 'वेदांता कंप्यूटर एजुकेशन और वेदांता बाल शक्ति आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट' से संबंधित अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 258/2015/फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)